मैत्रेयी महाविद्यालय चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 अवकाश यात्रा रियायत के लिए दावा

अंतिम दावे का ब्लॉक वर्ष			नए दावे का ब्लॉक वर्ष
 कर्मचारी का नाम (बड़े शब्दों में) 			
पद	1	वेभाग	
2. गृह नगर का पता	1	नेयुक्ति की तारीख	
अगर भारत दर्शन के लिए	जा रहे हैं तो स्थान	का नाम	
3. मूल वेतन (रू.)	रेलवे में पात्रत	ा वर्ग	
दिल्ली/नई दिल्ली से गृह	नगर/यात्रा स्थल तव	क सबसे छोटे मार्ग द्वा	रा दूरी कि.मी.
यात्रा करने वाले परिवार के	सदस्यों का विवरण	ī	
<u>नाम</u>		<u>आय</u> ु	कर्मचारी के साथ संबंध
1	<u> </u>		
2	_		
3			
4			
5	_		
6			
यात्रा का विवरण			
यात्रा का विवरण	यात्रा का साधन	टिकट न.	कुल राशि कुल दावा
टिप्पणी (यदि है तो)			

इस दिन सेत	क	बस रसीद न.	तार्र	रीख के साथ
(1) (2	2) (3)	(4)	(5)	(6)

	(वृत्त शाखा द्वारा प्रयोग में)	
भुगतान हेतु पारित की गई राशि 🛚	भुगतान की गई अग्रिम राशि 🛭	भुगतान की गई कुल
राशि □डेबिट शीर्ष		
अनुभाग अधिकारी	कोश-अधीक्षक	प्राचार्या
भुगतान किए गए चेक का नं	दिनांव	ក
नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिया जाने व	गला प्रमाण पत्र	
प्रमाणित किया जाता है:		
1.श्रीमान/श्रीमती/कुमारी (कर्मचारी का न	नाम)	ने जावक यात्रा शुरू करने
से पहले एक वर्ष या उससे अधिक सम	य तक निरंतर सेवा प्रदान की है।	
2.गृह मंत्रालय के अनुच्छेद 3 के तहत	आवश्यक प्रविष्टियाँ O.M. No.43/1	1/55- व्यक्त अनुक्रम टैग।
y	की सेव	वा पुस्तिका में दिनांक 11
अक्टूबर 1955 से दर्ज किया गया है		

प्राचार्या

अनुभाग अधिकारी (व्यवस्थापक) प्रशासनिक अधिकारी.

कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1.मैंने अभी तक अपने या अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में वर्ष 20और 20के दो साल के ब्लॉक
के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत के लिए कोई अन्य दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
2. मैंने स्वयं/ मेरी पत्नी द्वारा बच्चों के साथ की गई यात्रा के संबंध में अवकाश यात्रा के
लिए पहले से यात्रा भत्ता आहरित कर लिया है। यह दावा मेरी पत्नी/ स्वयं द्वाराबच्चों के
साथ की गई यात्रा के संबंध में है और इनमें से किसी ने भी पूर्व अवसर पर गए समूह के साथ यात्रा नहीं की थी।
3. यह यात्रा मैंने/ मेरी पत्नी ने बच्चों के साथ घोषित गृहनगर अर्थात् के लिए निष्पादित की है।
4.िक मेरे पति/पत्नी विश्वविद्यालय या अन्यत्र कहीं भी कार्यरत नहीं हैं।
कि मेरे पति/पत्नी विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हैं याऔर दो साल के संबंधित ब्लॉक के लिए उनके
दवारा या स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए रियायत का लाभ नहीं उठाया गया है।